न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः—107/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः— 251 क(1) आर.टी.ए.

1 रामेश्वर लाल पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ
2 हंसराज पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी गुरूसर 10 एसएसडब्ल्यू— बी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
2 हरबंश सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

— अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री लक्ष्मीनारायण — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री दलीप सारस्वत — अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2
3. श्री सुरेन्द्र सिहाग — अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
4. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 3

—::आदेश::—

दिनांक ....

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 10 एसएसडब्ल्यू बी जमाबंदी संवत 2074—77 खाता सं. 122/82 खाता रामेश्वरलाल में प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 4/1, 4/2, 7, 14, 18 कुल 1.265 है. नहरी व बारानी मय गै.मु. खाला व प्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि की इसी चक के खाता सं. 154/13 खाता हंसराज में प.न. 143/294 मु.न. 45 किला नं. 24, 25/1, 25/2 प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 3/1, 3/2, 8, 13 व प.न. 143/296 मु.न. 56 किला नं. 1, 2, 3, 6/1 प.न. 144/296 मु.न. 55 किला नं. 6/1, 6/2 कुल 2.361 है. नहरी व बारानी मय गै.मु. खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है

यह है कि अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र सिंह की कृषि भूमि चक 10 एसएसडब्ल्यू बी जमाबंदी संवत 2074—77 खाता सं. 114/15 खाता राजेन्द्र सिंह में प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21/2, 22/2 कुल 1.265 है. अकमाण्ड गै.मु. खाला व अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि की इसी चक के खाता सं. 156/10 खाता हरबंश सिंह प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 2/1, 2/2, 9, 12, 19, 21/1, 22/1 कुल 2.361 है. बारानी मय गै.मु. खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह है कि प्रार्थीगण लघु काश्तकार है प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से कई बार फसल बोने से रह जाती है व जमीन खाली पड़ी रहती है। कई बार फसल पककर तैयार हो जाती है व खेत में पड़ी पड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को काफी क्षति होती है। प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि में प्रवेश कर सके। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थीगण की भूमि के चिपती है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि [illegible] प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से होकर आवागमन करने के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र सिंह की कृषि [illegible] प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 20 की उत्तरी दिशा में किला नं. 11 के चिपता पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 लंबा एव उत्तर दिशा से दक्षिण 12 फीट चौड़ा (कुल 0.018 है.) एवं अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि प.न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.13 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested

143/295 मु.न. 51 किला नं. 19 की उत्तरी दिशा में किला नं. 12 के चिपता पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 लंबा एव उत्तर दिशा से दक्षिण 12 फीट चौड़ा (कुल 0.018 है.) रास्ता से होकर प्रार्थी हंसराज अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करना चाहता है एवं प्रार्थी रामेश्वर लाल अपनी कृषि भूमि इसी पत्थर के किला नं. 18 में प्रवेश करता चाहता है जिसके लिए प्रार्थीगण को 12 फुट चौड़े एवं 330 फीट लंबे रास्ते की आवश्यकता है।

यह है कि मौका पर प्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के किला नं. 4 में पक्की डिग्गी बनी हुई है एवं शेष कृषि भूमि में बाग लगाया हुआ है जिस कारण उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता किसी प्रकार से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए उपलब्ध होना संभव नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण उक्त रास्ता मंजूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि के बदले बाजार भाव की कीमत देने अथवा रास्ते के बराबर की कृषि भूमि देने के लिए तैयार व रजामंद है।

यह है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दो रोज पूर्व चक 10 एसएसडब्ल्यू बी में उक्त वर्णित रास्ता को मंजूर करवाने के लिए कहा तो उससे स्पष्ट इनकार हो गये। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

अतः श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र सिंह की कृषि भूमि प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 20 की उत्तरी दिशा में किला नं. 11 के चिपता पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 लंबा एव उत्तर से दक्षिण 12 फीट चौड़ा (कुल 0.018 है.) एवं अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 19 की उत्तरी दिशा में किला नं. 12 के चिपता पश्चिम से पूर्व की तरफ 165 लंबा एव उत्तर दिशा से दक्षिण 12 फीट चौड़ा (कुल 0.018 है.) कुल 12 फीट चौड़ा एवं 330 फीट लंबा रास्ता मंजूर कर रास्ते में आनी वाली भूमि के बदल बाजार भाव से अप्रार्थीगण को कीमत या रास्ते के बराबर भूमि अप्रार्थीगण के साथ चिपती भूमि देने का आदेश कर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरवाया जावें।

≈ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिहाग व अप्रार्थी सं 2 की ओर से अधिवक्ता दलीप सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से जवाब प्रा.प. असहमति का पेश किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच तलब करने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को जरिये पत्रांक 904 दिनांक 12.09.2023 द्वारा बिंदूवार तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अप्रार्थीगण 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा अंकन किया गया है कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभक्त हो जायेगी जिससे काश्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तहसीलदार हनुमानगढ ने जरिये पत्रांक/राजस्व/23/620 दिनांक 09.10.2023 द्वारा भू.अ.नि. कोहला द्वारा तैयार मौका व जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2023 में प्रार्थी सं. 1, 2 द्वारा आवेदित रास्ता प.न. 143/295 के मु.न. 51 किला नं. 19 में 0.018 है. व किला नं. 20 में 0.018 है. उत्तरी सीमा पर निकटतम दूरी का रास्ता सुझाया है, तथा अंकन किया है कि यह रास्ता प्रत्येक किला नं. में 165 लम्बाई में 1.5 गठ्ठा चौड़ाई में स्वीकृत किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 2 व तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुत्तम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया है कि मुझ अप्रार्थी सं. 1, 2 की भूमि के मध्य से विभाजित करने के लिए प्रार्थी द्वारा जानबूझकर रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.13 12:55.13 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी सं. 1, 2 सीमांत कृषक की जोत दो भागों में विभाजित हो जायेगी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया यदि अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभाजित होती है जैसा अनुतोष में चाहा गया था तो प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 1, 2 में 2–2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत कर अनुतोष प्रदान किया जावें। प्राथी सं. 2 द्वारा सहमति इस आशय की पेश की गई कि प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 3/1 जो प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी है में से 2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो वह अपनी भूमि बिना कोई मुवावजा के समर्पण कर रहा है।

हमने बहस विज्ञ अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र, जवाब प्रत्यूत्तर का अध्ययन किया। बहस उभय पक्ष सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रा.पत्र **में** प.न. 143/295 के मु.न. 51 किला नं. 19 में 0.018 है. व किला नं. 20 में 0. 018 है. उत्तरी सीमा पर निकटतम दूरी का रास्ता चाहा है, वही अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अपनी जोत के मध्य से रास्ता स्वीकृत करने से जोत विभाजित होकर दो टुकड़ों में होने का आक्षेप किया जिससे न्यायालय सहमत है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता के अनुतोष को प्रदान किया जाना उचित नहीं है इसके इत्तर इसके विपरीत प्रार्थीगण को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना भी आवश्यक है। इसलिए निष्कर्षतः आदेश है दिए जाते है किः–

–::क्रियान्विति आदेश::–

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, आदेश दिये जाते है कि चक चक 10 एसएसडब्ल्यू बी जमाबंदी संवत 2074–77 प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 1, 2 में 0. 018–0.018 है. में व इसी प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 3/1 जो प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी है में से 0.018 है. चौड़ा रास्ता गै.मु. खाला के चिपते पश्चिम से पूर्व स्वीकृत किया जाता है प्रार्थी सं. 1 किला नं. 1, 2 में स्वीकृत रास्ते की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज प.न. 143/295 मु.न. 51 किला नं. 18 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.036 है. रकबा कम कर अप्रार्थी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व अप्रार्थी सं. 2 हरबंश सिंह के नाम दर्ज प.न. 143/295 मु. न. 51 किला नं. 19 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.018 है. भूमि कम कर अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। किला नं. 3/1 में स्वीकृत रास्ता की एवज में खातेदार प्रार्थी सं. 2 हंसराज द्वारा अपनी भूमि को जरिये सहमति पत्र समर्पित कर दिया है इसलिए कोई मुवावजा राशि देय नहीं होगी। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार अक्षरशः पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251–ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्वा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.13 12:55:13 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ